उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-34/2020/323/92-2-2020-52(जॉच)/2018,
लखनऊ :: दिनांक:: 12 फरवरी, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत चयनित पैकेज संख्या-यू0पी0-45102, एन0एच0-26 से पॉली (चै0-0.00 से 8.00 कि0मी0) तक के निर्माणाधीन कार्यों में की गयी अनियमितता एवं संपादित कराये गये खराब कार्यों को छिपाने तथा गुणवत्ताहीन मार्ग के निर्माण कार्य में दोषी ठेकेदार/फर्म को काली सूची में डाले जाने एवं ठेकेदार का बचाव/सहयोग का प्रयास किये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-176/2018/2989/92-2-2018-52(जॉच)/2018, दिनांक 06.12.2018 द्वारा श्री रिजवान साबिर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन के पत्र दिनांक 06.02.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री रिजवान साबिर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर के विरूद्ध निर्गत आरोप पत्र जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को प्रेषित करते हुए नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी के पत्रांक-818, दिनांक 06.09.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी को व्यक्तिगत सुनवायी के संबंध में दिनांक 12.09.2019 को कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर में अपरान्ह् 02.00 बजे का समय निर्धारित किया गया, जिसके क्रम में अपचारी अधिकारी दिनांक 12.09.2019 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु परिमण्डलीय कार्यालय कानपुर में उपस्थित हुये। जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.12.2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या की विवेचना में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-3 आरोपों में से आरोप संख्या-1 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-2 एवं आरोप संख्या-3 को प्रमाणित नहीं पाया गया। आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 27.12.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी श्री रिजवान साबिर, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता से अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 24.01.2020 के द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है-

आरोप संख्या-1

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पी0आई0यू0-ललितपुर में पैकेज संख्या-यू0पी0-45102 के अन्तर्गत एन0एच0 26 से पाली (चै0 0.00 से 8.00 कि0मी0) तक निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ताविहीन कराये जाने एवं मार्ग में प्रयुक्त की गयी सामग्री मानक के अनुसार न पाये जाने, मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे पाये जाने, मार्ग का सील कोट खराब पाये जाने एवं कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने हेतु श्री रिजवान साबिर खान को दोषी पाया गया। उक्त कार्य का दिनांक 08.10.2018 को श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/ नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर द्वारा किये गये निरीक्षण में निर्माण कार्य गुणवत्तापरक एवं मानक के अनुसार न पाये जाने हेतु श्री साबिर को आरोपित किया, जो उ0प्र0 कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 का उल्लंघन है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपचारी अधिकारी श्री रिजवान साविर द्वारा अधिरोपित आरोप के संबंध में उललेख किया गया कि यह आरोप श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/ नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर के निरीक्षण दिनांक 08.10.2018 में पायी गयी स्थिति जिसका उल्लेख समीक्षा बैठक में की गई उसके आधार पर तथा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी जनपद ललितपुर द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरोपित किया गया है।

श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/ नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर के निरीक्षण दिनांक 08.10.2018 के क्रम में दिनांक 09.10.2018 को इस कार्य का श्री भागीरथ चतुर्वेदी, सहायक अभियन्ता, डी0आर0डी0ए0 ललितपुर, श्री आर0के0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड-2 ललितपुर एवं श्री राम सूरत, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, ललितपुर द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट में एन0एच0 26 से पाली मार्ग के चैनेज 3.90 कि0मी0 एवं चैनेज 15.30 कि0मी0 में मार्ग निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री एवं कार्यमद की चैकिंग की गयी, जो विशिष्टियों के अनुरूप होने की आख्या दी गयी।

श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/ नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर द्वारा समीक्षा बैठक मे दिए गए निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा पत्र संख्या-3057, दिनांक 10.10.2018 से तीन सदस्य जांच समिति गठित किया गया। गठित जांच समिति द्वारा कार्य का दिनांक 11.10.2018 को निरीक्षण किया गया। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संदेह होने के कारण चैनेज 4.624 एवं 7.985 से सामग्री का नमूना सील कर एच0बी0टी0यू0 कानपुर की प्रयोगशाला भेजी गयी। एच0बी0टी0यू0 कानपुर से भी कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री एवं कार्यमद आई0आर0आर0-एस0पी0-20 में निर्धारित मानक सहिष्णुता श्रेणी के अन्तर्गत होने का उल्लेख किया है।

जनपद-ललितपुर के एन0एच0 26 से पाली (चैनेज 0.00 कि0मी0 से 8.00 कि0मी0) निर्माण कार्य अवधि में राज्य गुणवत्ता मानीटर इं0 एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 22.08.2017 को इं0 सुनील कुमार द्वारा दिनांक 10.11.2017 को इं0 अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा दिनांक 25.02.2018 को तथा इं0 गजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 26.05.2018 को योजना की गाईड लाइन के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त विभिन्न निर्माण सामग्रियों एवं कार्यमदों का तकनीकी परीक्षण किया गया। चारों राज्य गुणवत्ता मानीटर द्वारा कार्य में प्रयुक्त विभिन्न निर्माण एवं निर्मित कार्य योजना के मानक विशिष्टियों के अनुरूप होने तथा कार्य संतोषजनक होने की टिपपणी दी गयी।

एन0एच0 26 से पाली (चैनेज 0.00 कि0मी0 से 8.00 कि0मी0) का निर्माण कार्य पूर्ण होने के तुरन्त बाद मानसून सत्र में अत्यधिक वर्षा होने के साथ-साथ वाहनों के आवागमन के कारण नव निर्मित मार्ग की सील कोट खराब हो गयी थी। श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/ नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर के निरीक्षण दिनांक 08.10.2018 के तुरन्त बाद यद्यपि मरम्मत कार्य अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा प्रारम्भ करा दिया गया था, जिसका उल्लेख समिति की जांच आख्या दिनांक 09.10.2018 में भी किया गया तथापि श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर के निर्देशों के अनुपालन में सील कोट को तुड़वाकर ठेकेदार से पुर्ननिर्मित करा लिया गया।

यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर के निर्देशों के अनुपालन में ठेकेदार के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी थी। दर्ज एफ0आई0आर0 में अन्तिम रिपोर्ट दे दी गयी है। अन्तिम रिपोर्ट में स्पष्ट उललेख है कि सील कोट का कार्य दुबारा करा दिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अत: उपरोक्तानुसार एन0एच0 26 से पाली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाना प्रमाणित होने के कारण आरोप श्री साबिर को स्वीकार नहीं है।

जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पी0आई0यू0-ललितपुर में पैकेज संख्या-यू0पी0-45102 के अन्तर्गत एन0एच0 26 से पाली (चै0 0.00 से 8.00 कि0मी0) तक निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ताविहीन कराये जाने एवं मार्ग में प्रयुक्त की गयी सामग्री मानक के अनुसार न पाये जाने, मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे पाये जाने, मार्ग का सील कोट खराब पाये जाने एवं कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने हेतु अपचारी अधिकारी को आरोपित किया गया है। उक्त कार्य का दिनांक 08.10.2018 को श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर द्वारा किये गये निरीक्षण में निर्माण कार्य गुणवत्तापरक एवं मानक के अनुसार न पाये जाने हेतु अपचारी अधिकारी को आरोपित किया गया है।

उक्त आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया गया है कि एन0एच0 26 से पाली (चैनेज 0.00 कि0मी0 से 8.00 कि0मी0) निर्माण कार्य पूर्ण होने के तुरन्त बाद मानसून सत्र में अत्यधिक वर्षा होने के साथ-साथ वाहनों के आवागमन के कारण नव निर्मित मार्ग की सील कोट खराब हो गयी थी। श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर की निरीक्षण दिनांक 08.10.2018 के क्रम में दिनांक 09.10.2018 को इस कार्य का श्री भागीरथ चतुर्वेदी, सहायक अभियन्ता, डी0आर0डी0ए0 ललितपुर, श्री आर0के0 सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड-2 ललितपुर एवं श्री राम सूरत, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, ललितपुर द्वारा निरीक्षण किया गया।

संयुक्त जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट संलग्न रूप पत्र में नीचे **नोट:-1** मे यह अंकित किया गया है कि एन0एच0 26 से पाली प्रधानमंत्री ग्राम सम्पर्क मार्ग का टी0ए0सी0 कार्य का सत्यापन/निरीक्षण किया गया, जिसमें कि0मी0 0.00 से 8.00 कि0मी0 में पैच पाये गये जिस पर सचिव महोदय द्वारा अंसतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि 0.00 से 8.00 कि0मी0 का सील कोट को तत्काल एक सप्ताह में तोड़कर मानक के अनुसार पुन: निर्मित करायें। वर्तमान में मरम्मत का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है। **2:-** चैनेज 8.00 से 16.00 कि0मी0 के चैनेज 15.03 चैनेज पर क्रस्ट एवं सामग्री का परीक्षण किया गया, जो प्राक्कलन के अनुसार पाया गया एवं 8.00 से 16.00 कि0मी0 पर कराया गया कार्य संतोषजनक पाया गया। **3:-** संलग्न फोटोग्राफ्स एवं चैनेज टेस्टिंग की रिपोर्ट। निरीक्षण रिपोर्ट में एन0एच0 26 से पाली मार्ग के चैनेज 3.90 कि0मी0 एवं चैनेज 15.30 कि0मी0 में मार्ग निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री एवं कार्यमद की चैकिंग की गयी, जो विशिष्टियों के अनुरूप होने की आख्या दी गयी।

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर मे यह भी उललेख किया है कि श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर द्वारा समीक्षा बैठक मे दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा पत्र संख्या-3057, दिनांक 10.10.2018 से तीन सदस्य जांच समिति गठित किया गया। गठित जांच समिति द्वारा कार्य का दिनांक 11.10.2018 को निरीक्षण किया गया। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संदेह होने के कारण चैनेज 4.624 एवं 7.985 से सामग्री का नमूना सील कर एच0बी0टी0यू0 कानपुर ही प्रयोगशाला भेजी गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में निर्माण कार्य की गुणवत्ता के संबंध में एच0बी0टी0यू0 की टेस्टिंग रिर्पोट पत्रांक-306/सी0ई0/कंसल्टेन्सी दिनांक 30.10.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जो कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री का आई0आर0आर0सी0-एस0पी0-20 में निर्धारित मानक के अन्तर्गत होने का उल्लेख किया गया है। जो निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री गुणवत्ता युक्त होने संबंधी अपचारी अधिकारी के कथन की पुष्टि करता है।

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनपद ललितपुर के एन0एच0 26 से पाली (चैनेज 0.00 कि0मी0 से 8.00 कि0मी0) निर्माण कार्य अवधि में राज्य गुणवत्ता मानीटर इं0 एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 22.08.2017 को इं0 सुनील कुमार द्वारा दिनांक 10.11.2017 को इं0 अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा दिनांक 25.02.2018 को तथा इं0 गजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा दिनांक 26.05.2018 को योजना की गाईड लाइन के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त विभिन्न निर्माण सामग्रियों एवं कार्यमदों का तकनीकी परीक्षण किया गया। चार राज्य गुणवत्ता मानीटर द्वारा कार्य में प्रयुक्त विभिन्न निर्माण एवं निर्मित कार्य योजना के मानक विशिष्टियों के अनुरूप होने तथा कार्य संतोषजनक होने की टिपपणी दी गयी। अपचारी अधिकारी उल्लेख किया गया है कि श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर के निर्देशों के अनुपालन में सील कोट को तुड़वाकर ठेकेदार से पुर्ननिर्मित करा लिया गया।

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि श्री संजय कुमार, आई0ए0एस0, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी जनपद ललितपुर के निर्देशों के अनुपालन में ठेकेदार के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी गयी थी। दर्ज एफ0आई0आर0 में अन्तिम रिपोर्ट "विवेचना अधिकारी द्वारा कार्य का स्थलीय निरीक्षण एवं सड़क की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट सही पाये जाने के कारण संपूर्ण विवेचना से मेसर्स तुलसीराम एण्ड कंपनी सदर बाजार झांसी के छत्रपाल सिंह पुत्र तुलसीराम निवासी 50 ओल्ड रायगंज, थाना सिपारी बाजार, जनपद झांसी (फर्म के प्रोपराइटर) के विरूद्ध् जुर्म धारा 420 भारतीय दण्ड सहिंता को साबित नही होना पाया। अंतिम रिपोर्ट संख्या-257/18, दिनांक 21-12-2018 द्वारा विवेचना की समाप्ति की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह भी कहना समीचीन होगा कि अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये पठनीय साक्षय एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उपलब्ध कराये गये अभिलेख जो कि स्वीकार योग्य हैं, परन्तु फिर भी कार्य की वर्कमैनशिप के प्रभावित होने से इन्कार नही किया जा सकता, क्योंकि निर्माण कार्य के उपरान्त इतनी अल्प अवधि में मात्र वर्षा ऋतु के कारण बिटुमिनस लेयर का उखड़ना निर्माण कार्य के समय हुयी पर्यवेक्षणीय कमी को इंगित करता है। तथा बेस/ सबबेस की लेयर का पर्याप्त कम्पैक्शन नही होना तथा बिटुमिनस लेयर के लेपिंग के समय सामग्री का पर्याप्त तापमान न होने के कारण मार्ग के उखड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जोकि यूनिट के फील्ड स्टाफ द्वारा पर्याप्त पर्यवेक्षण न किया जाना तथा अपचारी अधिकारी के शिथिल नियन्त्रण का घोतक है । इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा कराये गये कार्यों में बरती गयी शिथिल नियन्त्रण से इनकार नही किया जा सकता। जिसके लिये अपचारी अधिकारी पर उपरोक्त आरोप आंशिक रूप से स्थापित होना प्रतीत होता है ।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन:-</u>

अपचारी अधिकारी श्री रिजवान साबिर द्वारा आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 जिसमें जॉच अधिकारी ने अपचारी अधिकारी को निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण एवं शिथिल नियन्त्रण हेतु उत्तरदायी पाया गया था, के संबंध में निम्नवत अवगत कराया गया:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

"जॉच अधिकारी की विवेचना के प्रस्तर-4 में अंकित अंश जो निमार्ण कार्य में प्रयुक्त सामग्री, गुणवत्ता युक्त होने संबंधी अपचारी अधिकारी के कथन की पुष्टि करता है, संबंधी विवेचना किये जाने, समय-समय पर उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा नामित स्टेट क्वालिटी मानीटरों द्वारा कार्य को योजना के दिशा निर्देशानुसार मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप पाये जाने की टिप्पणी अंकित की गयी है, जिससे स्वत: स्पष्ट है कि निमार्ण कार्य पूर्ण गुणवत्ता युक्त सम्पादित कराया गया, जॉच अधिकारी द्वारा अपनी जॉच आख्या में यह इंगित किया जाना कि वर्कमैनशिप के प्रभावित होने से इन्कार नही किया सकता है, क्योंकि निर्माण कार्य के उपरान्त इतनी अल्प अवधि में मात्र वर्षा ऋतु के कारण बिटुमिनस लेयर का उखड़ना निर्माण कार्य के समय हुयी पर्यवेक्षणीय कमी को इंगित करता है। विवेचना में उपरोक्तानुसार अंश उल्लेख करते हुये विवेचना में आरोप आंशिक रूप से स्थापित होना प्रतीत होने का निष्कर्ष दिया गया है। जिससे स्वत: स्पष्ट है कि जॉच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी के प्रेषित बचाव उत्तर के साथ संलग्न साक्ष्यों का परीक्षण भलीभांति नही किया गया है, मात्र काल्पनिक रूप से आरोप आंशिक रूप से स्थापित होने की स्व:मन: कल्पना की है, यदि वर्कमैनषिप प्रभावित होती तो स्टेट क्वालिटी मानीटरों द्वारा निश्चित ही कार्य को असंतोषजनक श्रेणी में वर्गीक़त किया जाता। वर्षा होने से सड़क निर्माण का बिटुमिनस सरफेस क्षतिग्रस्त होना प्राकृतिक क्षति है, जिसमें उनका कोई दोष नही है। उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का पूर्ण सजगता के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।'

3- अपचारी अधिकारी श्री रिजवान साबिर खान, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना, जांच आख्या में आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या-1 के संबंध में प्राप्त अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण एवं शिथिल नियन्त्रण हेतु अपचारी अधिकारी श्री रिजवान साबिर खान उत्तरदायी हैं।

अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-176/2018/2989/92-2-2018-52(जांच) /2018, दिनांक 06.12.2018 द्वारा श्री रिजवान साबिर खान, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद महोबा के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण एवं शिथिल नियन्त्रण हेतु **'परिनिन्दा'** का दण्ड देते हुए एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-34/2020/325(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल कानपुर ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- श्री रिजवान साबिर खान, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0 ललितपुर सम्प्रति अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद महोबा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।